कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / **1573** / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक **14 / 09 / 2026**

// छत्तीसगढ़ राज्य, प्रवेश वर्ष 2026 हेतु NEET UG (एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.) पाठ्यक्रम की द्वितीय चरण काउंसिलिंग आवंटन सूचना //

आज दिनांक **14.09.2026** को छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक (MBBS/BDS) पाठ्यक्रम की सीटों की द्वितीय चरण काउंसिलिंग के लिए आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	स्क्रुटनी एवं प्रवेश की प्रारंभ तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 16 सितम्बर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से
2	स्क्रुटनी की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 22 सितम्बर 2026, समय** Server Time 16:00 Hrs (04:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)
3	आबंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 22 सितम्बर 2026, समय** Server Time 17:00 Hrs (5:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय – *सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के आवंटित अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया आवंटित संस्था में सम्पन्न की जावेगी।*

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्कूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहॉ पर स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया किया जाना है)
01	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, रायपुर	*शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भवन, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा नवा रायपुर (छ.ग.)*
02	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस रायपुर	
03	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई	
04	अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और रिसर्च, जुनवानी भिलाई	
05	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, पचेड़ा, नवा रायपुर	
06	माँ पद्मावती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, माता कौशल्या मंदिर रोड, पचेड़ा, रायपुर	

नोटः– संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

क्रमशः––2––

सभी आबंटित अभ्यर्थी <u>छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2025 का नियम 7 का नियम (viii) के अनुसार</u> *"आवंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में आवंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक <u>स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा।</u> आवंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा।*

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु, सभी आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा करवाना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है।"

द्वितीय चरण एवं आगामी सभी काउंसिलिंग चरणों में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी। <u>*(देखे कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का सूचना क्रमांक /1368/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर दिनांक 07.08.2026)*</u>

अन्यथा आवंटन उपरान्त <u>नियमानुसार उक्त प्रक्रिया के अभाव में अपात्र होने के फलस्वरूप काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।</u>

निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्क्रूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहाँ पर स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया किया जाना है)
01	मैत्री कॉलेज ऑफ डेंटिस्टी एण्ड रिसर्च सेंटर, दुर्ग	*शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर*
02	रूंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल सांइसेस एण्ड रिसर्च, भिलाई	
03	त्रिवेणी दंत विज्ञान महा0, चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर	
04	छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजनांदगांव	
05	न्यू होराईजन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिलासपुर	
06	श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, रायपुर	

नोटः– <u>*सभी निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।*</u>

नोट :–

1. जिन प्रवेशित अभ्यर्थियों की **Seat Retained** है, उन्हें इस चरण में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।
2. जिन प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन मिला है, एवं उनके द्वारा उचित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया हो तो उन्हें नवीन आवंटित संस्थान में पुनः मेडिकल जांच कराना आवश्यक नहीं है।

क्रमशः——3——

3. **जिन प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन मिला है, उन्हें अपनी पूर्व प्रवेशित संस्था से Relieving Letter प्राप्त करने उपरांत ही अपने नवीन आवंटित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।**
4. **छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।**
5. आगामी काउंसिलिंग, आवंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट ***www.cgdme.in*** एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट ***https://cgdme.admissions.nic.in*** का नियमित अवलोकन करें।
6. सभी शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

14/09/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ.क्रमांक/**1574**/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक **14/09/2026**

प्रतिलिपि :-

1. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला कलेक्टर, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/रायगढ़/राजनांदगांव/कांकेर/कोरबा/महासमुंद/दुर्ग/कबीरधाम/मनेन्द्रगढ़/जशपुर/दंतेवाड़ा/जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।
3. अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय दंत चिकि0 महाविद्यालय रायपुर एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियो की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.